

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

बुलेटिन-भाग-2

(संसदीय एवं अन्य विषयों सम्बन्धी सामान्य सूचना)

वीरवार, 2 अगस्त, 2018/11 श्रावण, 1940 (शक्)

संख्या : 68

सदन की दीर्घाओं हेतु प्रवेश पत्र

सत्र के दौरान दीर्घाओं में आगन्तुकों के प्रवेश के लिए निर्धारित प्रवेश पत्रों पर सम्बन्धित सदस्य द्वारा प्रमाणित प्रपत्र एक दिन पूर्व प्रवेश पत्र जारी करने वाले कक्ष के सम्बन्धित कर्मचारी को उपलब्ध कर देना आवश्यक है। जिस व्यक्ति को माननीय सदस्य दीर्घा में प्रवेश की संस्तुति करते हैं उसके आचरण का पूर्णतः उत्तरदायित्व सम्बन्धित माननीय सदस्य का ही होगा। निर्धारित प्रपत्र सचिवालय की प्रशासन शाखा से उपलब्ध किए जा सकते हैं।

निर्धारित दिन के लिए अपेक्षित प्रवेश पत्र उससे एक दिन पूर्व वाले कार्य दिवस को दोपहर 12.00 बजे जारी किए जाएंगे। यदि स्थान उपलब्ध हो तो उस अवस्था में प्रवेश पत्र अपेक्षित दिन को भी प्रातः 10.00 बजे के पश्चात् दिए जा सकते हैं।

अध्यक्ष की विशेष अनुज्ञा के अतिरिक्त कोई भी प्रवेश पत्र दीर्घा में एक घण्टे से अधिक अवधि के लिए बैठने को जारी नहीं किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देशों का भी अवलोकन करें।

यशपाल शर्मा,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA

BULLETIN—PART-II

**(General Information relating to Parliamentary
and Other Matters)**

Thursday, 2nd August, 2018/11th Sharavna, 1940 (Saka)

No. 68

ADMISSION CARDS TO THE GALLERIES OF THE HOUSE

Applications for admission into the Visitors' Galleries for any day should reach one day advance to the officials deployed in the Reception duly recommended by the respective Hon'ble Member, on the prescribed application form. Since the Hon'ble Member will himself be responsible for any untoward or undesirable conduct in the Galleries by the holder of a Card issued at his request, he should, therefore, fully satisfy himself about the antecedents of the person for whom a card is applied for. Prescribed application forms can be had from the Administration Section of the Secretariat.

Admission Cards required for a day shall be issued at 12.00 noon on the previous working day. If accommodation be still available, further Cards will be issued from 10.00 A.M. onwards for the day for which they are required.

Except with the special permission of the Speaker, no Admission Card shall be issued for the duration of more than one hour.

For detailed information please refer to the Directions issued by the Hon'ble Speaker.

Yash Paul Sharma,
Secretary,
H.P. Vidhan Sabha.